तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.10.19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारन उप। उभय पक्षकारन उप की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.10.19 को पेश हो।
25.10.19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारन उप। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली दिनांक 18.11.19 को पेश हो
18.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारन उप। उभय पक्षकारन की पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.11.19 को पेश हो
29.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारन उप। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या
58 / 18

तारीख दायरा
25.10.2018

तारीख फैसला
29 / 11 / 2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. लक्ष्मण आत्मज भीमा जाति मीणा
2. मोहन आत्मज भीमा जाति मीणा निवासीगण झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. हरि किशन आत्मज केदार लाल जाति मीणा निवासी झाडगांव तहसील दीगाद जिला कोटा
2. राचरण आत्मज प्रहलाद
3. लड्डू गोपाल आत्मज प्रहलाद
4. जगदीश आत्मज प्रहलाद
5. इन्द्रराज आत्मज प्रहलाद
6. कांति बाई पुत्री प्रहलाद
7. रूकमणी बाई पुत्री प्रहलाद
8. अज्योधया बाई पुत्री प्रहलाद
9. भगवती बाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासीगण ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद
10. प्रेम बाई पुत्री भीमा पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा
11. रमेश बाई पुत्री भीमा पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासी झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा
12. मूर्ति बाई पुत्री भीमा पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी बालोद तहसील के0पाटन जिला बूंदी
13. बद्रीलाल आत्मज चन्दा जाति मीणा
14. हरि बल्लभ आत्मज चन्दा जाति मीणा

Scanned by CamScanner

15. किशन गोपाल आत्मज चन्दा जाति मीणा निवासीगण झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा

16. रामविलास आत्मज छोटूलाल

17. चेतन आत्मज छोटूलाल

18. रामराज बाई पुत्री छोटूलाल

19. कविता बाई पुत्री छोटूलाल

20. रामभरोसी बेवा छोटूलाल जाति मीणा निवासीगण झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अभिभाषक –

1. श्री छीतरलाल गोचर प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ओमप्रकाश सोनी प्रतिपक्षी नं0 1 ता 9 की ओर से
3. श्री हरिशंकर मेघवाल प्रतिपक्षी नं0 10 ता 12 की ओर से
4. श्री महेन्द्र नागर प्रतिपक्षी नं0 13 ता 20 की ओर से

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इन कथनों के साथ पेश किया कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 645 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 748 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 749 रकबा 1.32 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.01 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है, जिसमें प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 10, 11, 12 का 1/3 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में ही ख0नं0 762 रकबा 2.25 हे0, ख0नं0 764 रकबा 3.44 हे0, ख0नं0 766 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.89 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है, जिसमें प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 10, 11, 12 का 1/6 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 का 1/6 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 13, 14, 15 का 2/5 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 16 ता 20 का 1/10 हिस्सा दर्ज है। पूर्व

Scanned by CamScanner

में उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज चली आ रही थी। पूर्वजो की मृत्यु के बाद उक्त भूमियां प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण के नाम खाते दर्ज हुई। जो प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण की पुश्तेनी व पैतृक भूमियां है। प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 ता 20 जाति से मीणा है तथा मीणा जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इस कारण खातेदार मांग्या की मृत्यु के बाद भीमा, केदार, नट्टी बाई के नाम व भीमा की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 10 ता 12 के नाम व नट्टी बाई की मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 के नाम तथा केदार की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम उक्त भूमि दर्ज है। मीणा जाति व समाज में पुत्री का भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है। वैसे भी प्रतिपक्षी नं0 2 ता 12 अपनें ससुराल में निवास करती है व नट्टी बाई ससुराल में निवास करती थी जिनको किसी प्रकार का कोई अधिकार उक्त भूमि में प्राप्त नहीं होता है और न ही प्रतिपक्षी नं0 2 ता 12 का किसी प्रकार का अधिकार व कब्जा है। प्रार्थीगण भीमा के पुत्र व प्रतिपक्षी नं0 1 केदार का पुत्र व पुरूष वारिस है मांग्या व भीमा तथा केदार की मृत्यु के पश्चात् से मांग्या के खातें व हिस्से की उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 ही काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त मद नं0 2 में वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण एवं 1/2 हिस्से पर प्रतिपक्षी नं0 1 का एवं मद नं0 3 में वर्णित भूमि में से 1/4 हिस्से पर प्रार्थीगण एवं 1/4 हिस्से पर प्रतिपक्षी नं0 1 का बहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त भूमियों में से प्रतिपक्षी नं0 2 ता 12 का कोई हक व हिस्सा व कब्जा नहीं होने से उनका नाम डिलीट किया जाना व मद नं0 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण को 1/2 हिस्से का, प्रतिपक्षी नं0 1 को 1/2 हिस्सा का एवं मद नं0 3 में वर्णित भूमि में से प्रार्थीगण को 1/4 हिस्से का एवं 1/4 हिस्सा का प्रतिपक्षी नं0 1 को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। किन्तु प्रतिपक्षी नं0 2 ता 12 प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा करनें व प्रार्थीगण को भूमि से बैदखल करनें पर आमादा है, जिसका कि प्रतिपक्षी नं0 10 ता 12 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का केस प्राइमा फेसी केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की सम्भावना है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि, प्रतिपक्षी नं0 2 ता 12 ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 645 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 748 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 749 रकबा 1.32 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.01 हे0 भूमि तथा ख0नं0 762 रकबा 2.25 हे0, ख0नं0 764 रकबा 3.44 हे0, ख0नं0 766 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.89 हे0 भूमि में से किसी भी भूमि व हिस्से की भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैचान, अन्तरण व खुर्द बुर्द आदि नहीं करें। प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपनें प्रतिनिधि से ही करावे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 9 की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिपक्षी न0 1 लगायत 9 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर कथन किये कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू होंगे व आरआरटी 2014 (1) के पृष्ठ सं0 635 में स्पष्ट लिखा है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होनें का सीधा अर्थ यह नहीं लिया जा सकता है कि उक्त समुदाय में पुत्रियों को भूमि में कोई हक या अधिकार नहीं मिलेगा या प्राप्त नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की सम्पत्ति/भूमि की विरासत उक्त अधिनियम के लागू होनें से पूर्व प्रचलित विधि से अथवा क्षेत्र विशेष की जनजाति विशेष में प्रचलित रूढि के अनुसार प्रसारित होगी। प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 का वर्तमान जमाबंदी सं0 2071–74 में मृतक केदार के स्थान पर हरिकिशन व मृतका नट्टीबाई के स्थान पर उसके वारिसान प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 नामान्तरकरण सं0 507 दिनांक 05.10.2015 से दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है, इस कारण प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 का नाम खातें से डिलीट करनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, न्यायोचित नहीं है व नियमों विपरीत है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 में प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 सहखातेदार होनें से काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा करनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 अपनी

Scanned by CamScanner

जमीन का ना तो बैचान कर रहे है और न ही रहन रख रहे है जबकि प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 ने अपनें–अपनें हिस्से की भूमि पर वर्ष 2015 से केसीसी/अर्द्धसरकारी संस्थान बना रखा है जिसका उन्हे राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अधिकार प्राप्त है और प्रतिपक्षी व प्रार्थीगण अपनें–अपनें हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार बैदखल करने का कोई वाद विवाद पैदा ही नहीं होता है। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस नहीं है, अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है और अपरिमित क्षति होनें की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी नं0 1 ता 9 ने निवेदन किया कि ताफैसला दावा प्रतिपक्षीगण के पक्ष में स्थगन आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावें।

प्रतिपक्षी नं0 10 लगायत 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसमें प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अनुसूचित जनजाति में ऑल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होनें एवं पुत्र को प्रथम श्रेणी का माना जानें तथा पुत्रियों को पुत्र के जीवित होते हुए किसी प्रकार का आराजी में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होनें के कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जानें का निवेदन किया।

पक्षकारान् को अपना–अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिये गये। साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात्/ साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोराना सं0 2071–74 खाता नं0 83
2. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोराना सं0 2071–74 खाता नं0 84

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब के कथनों को दौहराया। विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा दौरानें बहस अपने कथनों के समर्थन में RRT 2016(2) Page 1437, RBJ 1998(5) Page 456 व RRD 1981 Page 361 प्रस्तुत किये। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टान्तो पर भी विचार किया।

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि वाके ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा के खाता नं0 84 पर स्थित ख0नं0 645 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 748 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 749 रकबा 1.32 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.01 हे0 भूमि के प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 12 सहखातेदार राजस्व अभिलेख में अंकित है तथा खाता नं0 83 पर स्थित ख0नं0 762 रकबा 2.25 हे0, ख0नं0 764 रकबा 3.44 हे0, ख0नं0 766 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 3 रकबा 5.89 हे0 भूमि के प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 20 सहखातेदार राजस्व अभिलेख में अंकित है। इस प्रकार ग्राम मोराना के खाता नं0 84 में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 12 तथा खाता नं0 83 में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 लगातय 20 सहखातेदार की भूमिका में है। जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य छायाप्रति जमाबंदी से प्रमाणित है। इस प्रकार पृथम दृष्टया प्रकरण मात्र प्रार्थीगण का न होकर अपने हिस्से तक सभी सहखातेदारान् का है।

विवादित भूमि पर भौतिक रूप से कौन काबिज़ है इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वह प्रतिपक्षी नं0 2 लगायत 12 के हिस्से की आराजियात पर काबिज है। विवादित भूमि सहखातेदारी की है इस कारण यह अवधारणा की जावेगी की वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इन्च पर समस्त सहखातेदारान् का अपने हिस्से तक अधिकार है। वादग्रस्त भूमि चूँकि प्रार्थीगण/प्रतिपक्षीगण के सेपरेट खाते में दर्ज नहीं है, इस कारण सभी सहखातेदारान् का कब्जा मानने की अवधारणा है। सामान्यतः अभिलिखित सहखातेदार न तो बतौर सहखातेदारी में दर्ज भूमि पर अतिकमि होता है और न ही उक्त भूमि पर मात्र अकेले कब्जे का हकदार।

आर0आर0डी02000 पेज 28 में स्पष्ट उल्लेखित है कि " ***सुविधा संतुलन के लिये यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी बनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होने से*** " इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं हैं।

प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 ता 12 वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार की हैसियत रखते है, तथा प्रार्थीगण का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपरिमित क्षति भी प्रार्थीगण को होना नहीं पाया जाता हैं। वैसे भी आर0आर0डी0 1988 पेज नं0

Scanned by CamScanner

316 श्रीमती धूली बनाम मांगी में प्रतिपादित किया गया है कि "साधारणतया एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता।"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में निषेधाज्ञा जारी किये जानें के सम्बन्ध में स्पष्ट वर्णित है कि "कोई सम्पति जिसके बारें में ऐसा वाद या कार्यवाही उससे सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जानें, क्षतिग्रस्त किये जानें, या हस्तान्तरित किये जानें के खतरे में है" किन्तु प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विवादित आराजी के किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग की संभावना हो। वैसे भी एक सहखातेदार को उसके स्वामित्व की आराजी के उपयोग–उपभोग से वंचित किया जाना उचित नहीं पाते है। शेष तथ्य मूलवाद की विषय वस्तु है।

प्रार्थीगण को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजी पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेंरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर।

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज़ किया जाता है। दिनांक 11.12.2018 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 113/18 के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनॉक 29/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner